राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प. 7(1)नविवि/2019 जयपुर, दिनांक 13 SEP 2019

आदेश

भूमि अवाप्ति के संबंध में नया अधिनियम वर्ष 2013 से प्रभावशील है। इस अधिनियम की धारा 24(2) एवं धारा 101 के अन्तर्गत अवाप्तशुदा भूमि के उपयोग में नहीं आने की स्थिति में कार्यवाही के बाबत् प्रावधान किये गये है।

राज्य सरकार की यह जानकारी में आया है कि विकास प्राधिकरण/नगर निकायों के द्वारा धारा 24(2) एवं 101 का गलत अभिप्रायः समझते हुए उनके यहां ऐसी अवाप्त भूमि जो अवाप्ति के पांच वर्ष तक उपयोग में नही आयी है या जिसका कब्जा नही लिया गया है या जिसका भुगतान नहीं किया गया है, को अपने स्तर पर अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया है जिसकी अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त नहीं की गई है। प्राधिकरण/निकायों के स्तर पर ऐसी कार्यवाही पूर्णतया अनाधिकृत है। धारा 24(2) के अन्तर्गत भूमि की पुनः अवाप्ति की कार्यवाही की जानी है या नहीं इसका निर्णय भी राज्य सरकार के स्तर पर होता है।

अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. जहां भूमि का अवार्ड जारी हो चुका है लेकिन भूमि पांच वर्ष से अधिक समय से उपयोग में नही आयी है या उसका कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है या उसके मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो धारा 24(2) के अन्तर्गत उसे अवाप्ति से मुक्त किया जाना है या पुनः अवाप्ति की कार्यवाही की जानी है इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजें।
2. धारा 101 के अन्तर्गत उपयोग में नही आ रही भूमि की वापसी या भूमि बैंक के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु भी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजते हुये स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जावें।
3. नये भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत मुआवजे की नगद राशि का भार नगर निकायों पर अत्यधिक आता है। ऐसे अवाप्त की जाने वाली भूमि के मामलों में जहां तक हो सके भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने की कार्यवाही की जावें। इस प्रकार मुआवजे के रूप में 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने की स्वीकृति के भी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजकर स्वीकृति प्राप्त की जावें।

(भास्कर ए0 सावंत)
शासन प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. समस्त विकास प्राधिकरणों/ नगर निकायों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव–तृतीय